अधिकारी:–श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या:–1/2021

अपीलान्ट:– आनन्दकंवर पुत्री श्री शिम्भुदान, जाति चारण, निवासी चौपासनी, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट:–

1. प्रभुदान पुत्र श्री हिंगलाजदान
2. महेशदान पुत्र श्री हिंगलाजदान
   जातियान चारण, निवासी चौपासनी
   तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।
3. सरपंच ग्राम पंचायत चौपासनी चारणान्।

उपस्थित –

अपीलान्ट – अधिवक्ता श्री जसवन्तसिंह चौहान।

रेस्पोडेन्ट्स–अधिवक्ता श्री दिनेश मदेरणा।

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 540 दिनांक 05.05.2015 ग्राम पंचायत चौपासनी चारणान् तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर द्वारा पारित किया गया</u>

<u>–::निर्णय::–</u>

दिनांक:–19/7/21

अपीलान्ट द्वारा एक राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर रखी है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि– खसरा नम्बर 1 रकबा 76 बीघा 06 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 10 रकबा 76 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी दोयम कुल खसरा 2 कुल रकबा 153 बीघा 02 बिस्वा भूमि ग्राम चौपासनी तहसील ओसियां वर्तमान तहसील तिंवरी में आई हुई है जिसमें से खातेदार उदयराज पुत्र श्री जेतदान के हक हिस्से 4 बीघा 15 बिस्वा व प्रभुदान, महेशदान पिसरान श्री हिंगलाजदान के हक हिस्से की 3

Scanned with CamScanner

बीघा 02 बिस्वा भूमि अपीलान्ट द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बेचान नामा खरीद की हुई है जिसका बेचान नामा दिनांक 14.09.2007 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 79 पृष्ठ संख्या 151 क्रम संख्या 2151/07 पर उप पंजीयक कार्यालय ओसियां में पंजीबद्ध है। खरीद की दिनांक से अपीलान्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलान्ट द्वारा खरीद की गई भूमि के बेचान नामा के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 540 दर्ज किया परन्तु उक्त नामान्तरकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि आपीलान्ट को बेचान करने के बावजूद भी नाम वापिस दर्ज करते हुए अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित किया जो कि गैर कानूनी होने से प्रारम्भ से ही शून्य है। जिसके विरूद्ध यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत हैं:– रेस्पोडेन्ट संख्या 3 सरपंच ग्राम पंचायत चौपासनी चारणान का आदेश विधि विरूद्ध एवं वाक्याती मिसल के विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्त हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 प्रभुदान व महेशदान द्वारा अपने हक हिस्से की सम्पूर्ण भूमि अपीलान्ट को बेचान कर दी गई। जिसके बेचान नामा के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण में प्रभुदान व महेशदान के स्थान पर अपीलान्ट का नाम दर्ज करना था परन्तु महेशदान व प्रभुदान का नाम यथावत रखते हुए अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित कर दिया गया। ग्राम पंचायत को भी अपीलान्ट के खरीद के रजिस्टर्ड दस्तावेजों की जांच कर नामान्तरकरण स्वीकृत करना चाहिए था परन्तु उपर्युक्त म्युटेशन संख्या 540 में न तो ग्राम पंचायत द्वारा दस्तावेजों की जांच की गई और न ही उक्त म्युटेशन को स्वीकृत करते वक्त अपीलान्ट को कोई नोटिस दिया गया। इस कारण उक्त नामान्तरकरण संख्या 540 में दिनांक 05.05.2015 प्रारम्भ से ही अपीलान्ट के हक के विरूद्ध शून्य तथा काबिल–ए निरस्त हैं। म्युटेशन संख्या 540 को स्वीकृत करते वक्त ग्राम पंचायत द्वारा न तो राजस्व नियमों की पालना की गई न ही अपीलान्ट को नोटिस दिया अपीलान्ट से बाले–बाले स्वीकार किया गया। इस कारण भी अपीलाधीन म्युटेशन निरस्त करने योग्य हैं। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 540 दिनांक 05.05.2015 में जो ग्राम पंचायत चौपासनी चारणान् द्वारा स्वीकृत किया गया को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट द्वारा खरीद की गई भूमि के पंजीबद्ध बेचान नामा के आधार पर नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश सादिर फरमावें तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

महायक फरीनहर. सौचित

Scanned with CamScanner

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर जरिये नोटिस रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट के नोटिस तामिल सुदा व वकालात नामा रेस्पोडेन्ट्स की ओर से दिनेश मदेरणा का पेश हुआ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने स्वयं उपस्थित हुए तथा अपील स्वीकार कर बेचान नामा में अपना सम्पूर्ण हिस्सा बेचान करना स्वीकार किया। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश मदेरणा उपस्थित। अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश कर सीधी बहस करना चाहा बहस सुनी गयी।

बहस पक्षकारान सुनी गई, अपील अपीलान्ट की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। खातेदार उदयराज पुत्र श्री जेतदान व प्रभुदान, महेशदान पुत्र श्री जेतदान द्वारा अपने हक हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का अपीलान्ट को बेचान कर दिया गया है। नामान्तरकरण संख्या 540 दर्ज करते समय बेचान नामा के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज नहीं कर बेचान सुदा भूमि पर भी विक्रेता का हिस्सा कायम रखा है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 540 दिनांक 05.05.2015 जो ग्राम पंचायत चौपासनी चारणान् तहसील तिंवरी द्वारा पारित किया गया को आपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार तिंवरी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि नामान्तरकरण जरिये रजिस्टर्ड बेचान नामा से दर्ज किया जाकर बेचान नामे के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम हटाये जाकर इनके स्थान पर अपीलान्ट का दर्ज किया जावे। पालना बाबत् तहसीलदार तिंवरी को पत्र जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 19/7/21 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner